सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

आगरा बैराज परियोजना

बैराज निर्माण खण्ड-प्रथम
आगरा

बैराज निर्माण मण्डल
आगरा

प्रस्तावित आगरा बैराज के विषय में संक्षिप्त नोट

आगरा शहर की पेयजल समस्या के निदान हेतु आगरा बैराज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना वर्ष 1997 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा रु0 13408 लाख (वर्ष 1997 की दरों पर आधारित) की स्वीकृत की गई थी। परियोजना उ0प्र0 शासन, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं मिशन मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा भी स्वीकृत है, तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से इसे ताज ट्रैपेजियम जोन निधि के अन्तर्गत रखा गया है।

राज्य व्यय वित्त समिति द्वारा वर्ष 1997 की दरों के आधार पर रु0 12047 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। भारत सरकार की व्यय वित्त समिति द्वारा भी परियोजना दि0 13.02.2001 को रु0 12047 लाख की स्वीकृत कर दी गई है।

वर्ष 2000-2001 में परियोजना पर रु0 1000 लाख का आवंटन एवं 31 मार्च 2001 को साख सीमा प्राप्त हुई थी, जिसका पूर्ण उपयोग भूमि अध्याप्ति हेतु अपर जिलाधिकारी भू0अ0 की माँग के अनुसार अग्रिम भुगतान रु0 390 लाख, गेटों के निर्माण हेतु सिंचाई कार्यशाला बरेली को अग्रिम भुगतान रु0 436 लाख, सैन्टेज चार्ज रु0 125 लाख प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य मृदापरीक्षण, बोरहोल एवं एप्रोच रोड, स्टोर के निर्माण हेतु रु0 49 लाख के रूप में किया गया है। मुख्य बैराज के निर्माण कार्य हेतु प्री-क्वालीफिकेशन निविदायें भी आमन्त्रित की गई। प्राप्त निविदाओं में से गुणवत्ता के आधार पर 9 निविदादाताओं का चयन कर लिया गया है। निविदा प्रपत्र विधीक्षित होने हेतु उ0प्र0 शासन न्याय विभाग को प्रेषित किया गया है। अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

वर्ष 2002 में परियोजना पर रु0 500 लाख का आवंटन एवं साख सीमा प्राप्त हुई। जिसका पूर्ण उपयोग भूमि अध्याप्ति हेतु अग्रिम रु0 291 लाख, आवासीय भवन एवं फील्ड होस्टल के निर्माण, मृदा परीक्षण, बोर होल एवं अन्य टैस्ट के कार्यों हेतु किया गया। इस प्रकार 1500 लाख रुपये को निम्न प्रकार व्यय किया है—

क्रमशः 2

1.	भूमि आध्याप्ति हेतु अग्रिम भुगतान	681.00 लाख
2	बैराज के गेटों के निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान	436.00 लाख
3.	सेन्टेज चार्जेज	125.00 लाख
4.	कार्यों पर व्यय	258.00 लाख
	कुल योग	1500.00 लाख

उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रगति में थी इसी बीच केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.8.2001 को वर्ष 1999 में दी गयी पर्यावरण स्वीकृति निलम्बित कर दी गयी तथा बैराज निर्माण से पूर्व और कुछ अन्य परीक्षण कराने के आदेश दिये गये। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आगरा बैराज के निर्माण कार्य को निलम्बित करने का मुख्य कारण आई0आई0टी0 कानपुर के प्रोफेसर डा0 विपिन दत्ता द्वारा वर्ष 1997 में आगरा बैराज पर दी गयी पर्यावरण रिपोर्ट के उस पैरा को आधार बनाया गया है, जिसमें यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि बैराज के निर्माण से नदी के डाउन स्ट्रीम में भूगर्भ जल स्तर की गुणवत्ता खराब होने की संभावना है। जबकि इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुऐ वर्ष 1999 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आगरा बैराज के निर्माण की स्वीकृत प्रदान की गई थी। इसके साथ-साथ उनके द्वारा सम्भवतः ताजमहल के आस-पास पानी की कमी को भी निलम्बन का एक कारण माना गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में सिंचाई विभाग द्वारा डा0 विपिन दत्ता से जो उस समय डेनमार्क में थे, ई-मेल द्वारा सम्पर्क कर रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें डा0 दत्ता ने स्पष्ट किया है कि आगरा बैराज पर उनकी शोध रिपोर्ट नकारात्मक नहीं है तथा पानी की गुणवत्ता सुधारने हेतु उनके द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे वे आगरा बैराज के निर्माण के दौरान प्रयोग में लायेंगे। तथा और कोई अन्य परीक्षण उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। ताजमहल के किनारे पानी उपलब्ध रहने के लिए ताज बैराज प्रस्तावित है। अतः पानी की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के सुधार हेतु समाधान उपलब्ध है। गुणवत्ता के सुधार हेतु डा0 दत्ता के मॉडल को क्रियान्वित किया जाना एवं जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु ताज बैराज प्रस्तावित है।

उक्त आधार पर तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आगरा बैराज की स्वीकृत हाइड्रोलोजी के आधार पर सिंचाई विभाग ने एक विस्तृत रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय

नई दिल्ली को पत्रांक 10786/दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रेषित की है जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणी हेतु जनवरी 2002 में भेजा गया है। केन्द्रीय जल आयोग में सिंचाई विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु बराबर प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु अभी तक केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आख्या केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नहीं प्रेषित की गयी है। सिंचाई विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	सम्पर्क का दिनांक	सम्पर्क करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद	सम्पर्क स्थापित किये गये अधिकारी का पद एवं कार्यालय का नाम
1.	15.11.2001	अधी०अभि०बै०नि०मं० आगरा एवं अधि०अभि०बै०नि०ख-1 आगरा	अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली
2.	12.12.2001	अधी०अभि०बै०नि०मं० आगरा एवं अधि०अभि०बै०नि०ख-1 आगरा	अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली
3.	06.3.2002	अधि०अभि०बै०नि०ख-1 आगरा	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
4.	27.3.2002	अधि०अभि०बै०नि०ख-1 आगरा	अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय एवं निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
5.	13.5.2002	अधि०अभि०बै०नि०ख-1 आगरा	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग एवं सचिव अपर यमुना बोर्ड, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।

क्रमशः.......4

6.	27.5.2002	अधि0अभि0बै0नि0ख-1 आगरा	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
7.	09.7.2002	[illegible]	निदेशक, [illegible], केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
8.	22.8.2002	अधि0अभि0बै0नि0ख-1 आगरा	डिप्टी डायरेक्टर, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
9.	26.8.2002	अधि0अभि0बै0नि0मं0 आगरा एवं अधि0अभि0बै0नि0ख-1 आगरा	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को निम्नलिखित पत्र भी लिखे गये हैं–

क्र0सं0	पत्रांक	सम्बोधित अधिकारी का नाम एवं कार्यालय का पता
1.	अधी0अभि,बै0नि0मं0, आगरा का पत्रांक 2386/दिनांक 04.4.2002	डा0 बी0के0 चावला, निदेशक के0ज0आ0 नई दिल्ली।
2.	अधि0अभि, बै0नि0मं0, आगरा का पत्रांक 1484/दिनांक 14.5.2002	डा0 एस0 भौमिक, अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली।
3.	अधि0अभि0, बै0नि0ख0-1, आगरा का पत्रांक 1313/दिनांक 11.7.2002	डा0 एस0के0 श्रीवास्तव, निदेशक एवं पी (नार्थ) केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।

4. अधी0अभि0, बै0नि0मं0, आगरा का पत्रांक 6221/दिनांक 17.7.2002 — डा0 एस0 भौमिक, अतिरिक्त निदेशक केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय जल अयोग के अधिकारियों से नियमित रूप से दूरभाष पर सम्पर्क भी किया जाता रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपनी आख्या चेयरमैन, केन्द्रीय जल अयोग नई दिल्ली को दिनांक 23.9.2002 को प्रेषित की जा चुकी है। इस बीच केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है परन्तु अभी तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस विषय में अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण मंत्रालय से निरन्तर सम्पर्क किया जाता रहा है। दिनांक 15.01.2003 को उनके साथ हुई बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि डा0 विपिन दत्ता प्रोफेसर आई0आई0टी0 कानपुर से पुनः सम्पर्क कर पानी की गुणवत्ता के विषय में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा जल निगम द्वारा यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रेषित की जावे। जिससे निलम्बन से मुक्ति हेतु अन्तिम निर्णय लिया जा सके। वर्तमान में आगरा बैराज परियोजना को दिनांक 12.10.2002 की मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड की आगरा में हुई बैठक में लिये निर्णय के अनुसार टी0टी0जेड0 से अलग कर दिया गया है, तथा पर्यावरण की स्वीकृत बहाल होने पर इसके वित्त पोषण की समस्या का समाधान भी आवश्यक होगा।

यदि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पुनः प्रदान कर दी जाती है तो परियोजना पर वर्ष 2002-03 में प्रारम्भिक रूप से भूमि की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि लगभग 90 हैक्टेआर भूमि के अध्याप्ति के प्रस्ताव वि0भू0अ0अ0 आगरा प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु अभी धारा 4 एवं धारा 17 की कार्यवाही होनी है जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्राप्त होने पर ही निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो पायेगी।

31/1/03 — 31/1/03

अधिशासी अभियन्ता
बैराज निर्माण खण्ड-1,
आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
बैराज निर्माण मण्डल,
आगरा

आगरा बैराज पर मार्च / 2002 तक मदवार व्यय का विवरण

मद	धनराशि (लाख रू. में)
1- भूमि अध्याप्ति हेतु ए0डी0एम0को अग्रिम	681.00
2- गेटों के निर्माण हेतु सिंचाई कार्यशाला खंड बरेली को अग्रिम भुगतान	436.00
3- स्टेज चार्जेज का ट्रेजरी में भुगतान	125.00
योग :-	1242.00

कार्यों पर व्यय

1- प्रोजेक्ट प्राविधान के अनुसार आंशिक संख्या में आवासों का निर्माण 56(सं0)एवं एक फील्ड हॉस्टल का निर्माण	103.00
2- एप्रोच रोड (2 कि0मी0) कार्य स्थल पर	19.32
3- आई0आर0आई0रुड़की को भुगतान	15.32
4- स्टोर का निर्माण	14.32
5- विभिन्न प्रकार के मृदा परीक्षण-77सं0 बोर होल 6" डायमीटर 2 सं0 परमियेबिलिटी टेस्ट एवं 2 सं0 प्लेट लोड टेस्ट	67.92
6- सिंचाई निर्माण खण्ड-ओखला को निर्माण सामग्री एवं स्टोर के लिए अग्रिम भुगतान	20.15
7- नलकूप खंड-आगरा को कालोनी में वाटर सप्लाई हेतु बोरिंग एवं अन्य कार्यों हेतु अग्रिम	12.22
8- पंका डाल नहर खंड-फिरोजाबाद को बिजली बिल भुगतान हेतु	1.15
9- अो-मिसलेनियस(जीप चालन, कार्यालय व्यय एवं - अन्य आकस्मिक व्यय)	4.60
योग:-	258.00

कुल योग:-	1500.00 (लाख)

(signature) 10/1/03

[illegible]

मेरठ [illegible]

आगरा

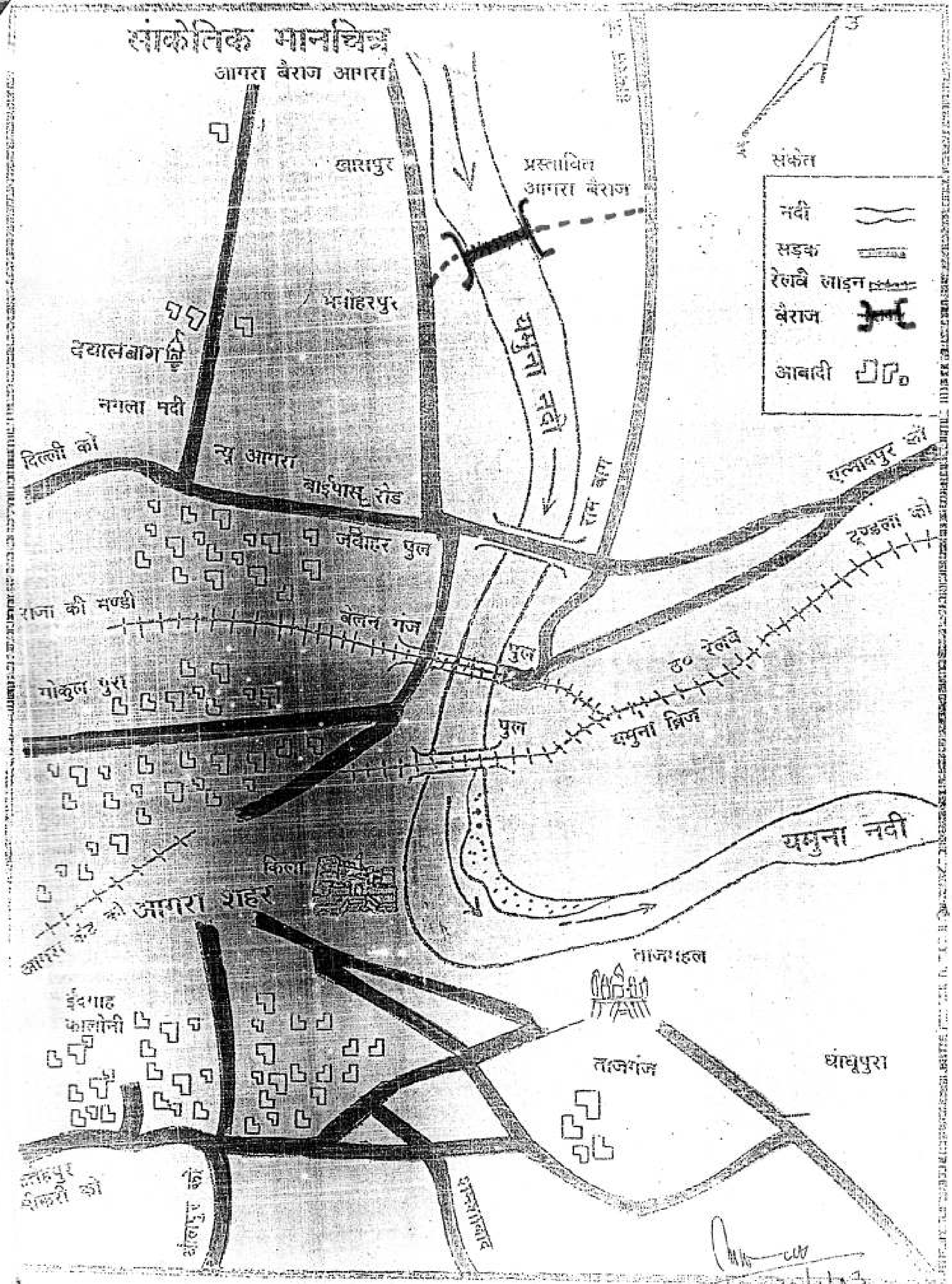

सांकेतिक मानचित्र
आगरा बैराज आगरा
उ
संकेत
नदी
सड़क
रेलवे लाइन
बैराज
आबादी
प्रस्तावित
आगरा बैराज
यमुना नदी
दयालबाग
नगला पदी
दिल्ली को
न्यू आगरा
बाईपास रोड
जवाहर पुल
राजा की मण्डी
बेलन गंज
पुल
गोकुल पुरा
उ० रेलवे
यमुना ब्रिज
यमुना नदी
किला
आगरा शहर
ताजमहल
ईदगाह
कालोनी
ताजगंज
धांधूपुरा